सहायक कलक्टर द्वितीय, जयपुर

हरजीराम **बनाम** रामकरण वगै.

संख्या /वर्ष दावा-89/2020 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार निम्न है :- दावे में वादी ने यह अंकित किया कि वह ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 609 रकबा 0.27 हैक्टेयर का अपने भाईयो के साथ सहकृषक है जिन्होंने वर्तमान में अपने-अपने हिस्सों का बंटवारा कर लिया और वादी अपने खेत में मकान बनाकर कदीम से काश्त कर रहा है। वादी का उसके खेत में होते हुये एक आम रास्ता जो कि पूरब से दक्षिण कोने से, दक्षिण की ओर, आम सड़क तक जाता है जिसको वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क "ए,बी,सी,डी" से दर्शाया गया, जिसका उपयोग वादी सपरिवार कदीम से करता चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादी जिसका खते खसरा नंबर 610/627, 610/711 वादी के खेत के पूरब-दक्षिण कोने में है, जिसमें से वादी के खेत तक रास्ता जाता है, प्रतिवादीगण बदमंशा से वादी के आमदरफत को बन्द करना चाहता है। वादी ने दिनांक 02.07.2020 को वाद कारण हेतु यह अंकित करते हुये कि प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वादी व उसके परिवारजन को उक्त रास्ते से जाने से रोका और ऐलानिया धमकी दी कि वे उक्त रास्ते का उपयोग ना करें और प्रतिवादीगण उक्त रास्ते पर तारबंदी करायेगा और आइन्दा नहीं आने देगा और उन्होंने ऐलानिया तौर पर हरहाल में रास्ता बन्द करने की धमकी देने के आधार पर वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के खेत, खसरा नंबर 610/627, 610/711 में स्थित रास्ता 48X20 फीट जिसको नजरी नक्शे में "ए,बी,सी,डी" से चिह्नित कर मार्क किया गया है, पर जबरन अतिक्रमण नहीं करें ना ही रास्ते को रोके और ना ही उसकी तारबंदी करें ना ही वादी व उसके परिवारजन के उपयोग उपभोग में बाधा डाले। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 7 में यह भी अंकित किया है कि वादी उक्त रास्ते बाबत् सरकारी डी.एल.सी.रेट के हिसाब से खर्चा पैसा जमा कराने को तैयार है क्योंकि वादी की मजबूरी है कि इस रास्ते के अलावा वादी के खेत में जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। वादी ने प्रतिवादी के खेत खसरा नंबर 610/627 व 610/711 में स्थित रास्ते मात्र के लिये ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है और ऐसा कोई अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता। वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में भूमि खसरा नंबर 609 रकबा 0.27 हैक्टेयर का अपने अलावा अपने भाईयो रामलाल व रामप्रसाद के भी अधिकार निहित होना अंकित किया है परन्तु वादी ने उक्त दावे	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर

राजस्व वाद संख्या - 89/2020 हरजीराम VS रामकु

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से

में पक्षकार नहीं बनाया। इसके अलावा प्रार्थी प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 610/627 व 610/711 के भी सभी सहकृषकों को दावे में पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया गया है जिन्हे दावे में पक्षकार बनाया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के अन्तर्गत आवश्यक है परन्तु वादी द्वारा उक्त व्यक्तियों को दावे में पक्षकार नही बनया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :– वादी ने वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है इस बाबत् वादी ने यह अनुतोष चाहा है कि वर्षो से वादी के खेत में जाने वाले रास्ते को जिसको कि दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में एबीसीडी मार्क से दर्शाया गया है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें न ही किसी से करवावें। शेष अनुतोष खर्चा जमा करवाने वाले तथ्य सहबन से अंकित हो गया है जिसको डिलीट व संशोधित करवाने का प्रार्थना पत्र वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हैं और वादी मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने अपने दावे में यह रिलीफ चाही है कि वादी के खेत में जाने वाला वर्षो से पहले से मौके पर मौजूद रास्ते में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें। वादी एवं वादी के भाईयों ने अपने कब्जे एवं मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है और वादी स्वयं उक्त खसरा नंबर 609 पर काबिज है जो प्रतिवादीगण रास्ते को अवरूद्ध करने आए उन्हीं को पक्षकार बनया गया है। क्योंकि रास्ता पहले से वर्षो से मौजूद है और दावा स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को हैं दावे का निस्तारण करना साक्ष्य का विषय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी नंबर 3 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रिलीफ चाही गई है कि "दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमा कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वह वादी के खेत का खसरा नंबर 610/627, 610/711 में स्थित रास्ता बाई 48 इंटु चौडाई 20 का रास्ता जिसको संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. से मार्क किया गया है पर जबरन अतिक्रमण नहीं करे ना ही रास्ते को रोके और [illegible] वादी व उसके परिवारजन के उपयोग व उपभोग [illegible] ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वंय [illegible] आदि से करावे।" उक्त से स्पष्ट [illegible] वादी का मुख्य [illegible] रास्ते का लेकर है। वादी ने [illegible] पेश कर खसरा नंबर 610/6[illegible] चाही है जबकि उक्त खसरा नंबर के खातेदार प्रतिवादी सं[illegible] लगायत 3 है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषक स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में केवल स्वयं के खातेदारी खसरो में अनुतोष मांगने का अधिकारी है। लेकिन वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादीगण के खसरा नंबर में रास्ते हेतु अनुतोष चाहा है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर

हरजीराम बनाम रामकरण वगै.

ख्या /वर्ष दावा 89/2020 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। वादी को रास्ते का अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर धारा 251 (पंचायत कार्यालय/तहसील कार्यालय) व 251 (A) (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:24 IST
Reason: SelfAttested